फर्द अहकाम

मालू बनाम धोदूराम व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 23/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10/09/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र O.7 R-11 पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23/09/25 को पेश हो। sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
23/09/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी वादी द्वारा अपने दादा व पिता के भी जीवित रहते हुए वादग्रस्त भूमि में अपने हक अधिकारों की घोषणा के संदर्भ में वाद प्रस्तुत किया गया है जो कि निर्विवादित तथ्य है। तथा स्वयं अप्रार्थी वादी द्वारा अपने वादपत्र के मद सं. 05 के अन्तर्गत कथन किया गया है कि जागीर उन्मूलन पश्चात पर्ची खातेदारी (रवन्नी बंदोबस्त) वादी के दादा व दादा के अन्य 03 भाईयों के नाम हिस्सा 1/2 अनुसार व 1/2 हिस्सा अन्य के नाम अनुसार जारी किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि वादी के दादा धोल्या को अपने पिता जोधा,	

P.T.O.

sd/-

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

मालू बनाम धोदूराम व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 23/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	23/09/25	की विरासतता में प्राप्त नहीं होकर, जागीर उन्मूलन पर कृषक के रूप में कब्जा काश्त के आधार पर प्राप्त हुई है। जिससे भूमि को सहदायिकी सम्पत्ति नहीं माना जा सकता है। अपितु भूमि स्वअर्जित सम्पत्ति मानी जायेगी। जिससे उक्त स्वअर्जित सम्पत्ति के खातेदार काश्तकार (दादा) के जीवनकाल में उसके पुत्र (वादी के पिता) को ही, जो कि स्वयं भी जीवित है, को ही कोई विधिक साम्पत्तिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है तो पौत्र (वादी) को हक अधिकार अवतरित होने का कोई विधिक आधार नहीं हो सकता है, ना ही प्रार्थी प्रतिवादी (दादा) को भूमि प्राप्त होने पर अप्रार्थी वादी का जन्म ही हुआ था। जिससे भूमि को सहदायिकी सम्पत्ति भी नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार अप्रार्थी वादी द्वारा अपनी विधिक अधिकारिता/ स्वत्वाधिकता के संदर्भ में कोई मान्य साक्ष्य दस्तावेजात भी प्रस्तुत किया गया है। अतः तथ्यो के अध्ययन प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 स्वीकार किया जाकर प्रावधानों के अन्तर्गत वाद वादी पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है निर्णय सुनाया गया। (विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न है) पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 23/2023

निर्णय दिनांक:–23.09.2025

मालू पुत्र साधू जाति मीणा
निवासी ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।

बनाम

अप्रार्थी/वादी

1. छोटू राम पुत्र जोधाराम
2. साधूराम पुत्र छोटूराम
3. डमराव उर्फ अमर सिंह पुत्र छोटूराम
4. जितेन्द्र पुत्र साधूराम
   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक कार्यालय आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

निर्णय

प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि मिन प्रार्थी (प्रतिवादी 1) वाद अधीन उल्लेखित भूमि के 1/8 हिस्से का अभिलिखित खातेदार (सहखातेदार) काश्तकार है तथा उल्लेखित भूमि वादग्रस्त मिन प्रार्थी को राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने पर (जागीर उन्मूलन उपरांत) कृषक के रूप में कब्जाकाश्त के अनुसार प्राप्त हुई है। जिससे वर्णित भूमि वादग्रस्त प्रार्थी प्रतिवादी 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है। जिसके बाबत मिन प्रार्थी प्रतिवादी 1 जो कि अप्रार्थी वादी का दादा है, के जीवित रहते तथा अप्रार्थी वादी के पिता के भी जीवित रहते हुए अप्रार्थी वादी को संपत्ति में हक अधिकार अवतरित नहीं हो सकते है, ना ही अप्रार्थी वादी को कोई वाद कारण ही उत्पन्न हो सकता है। इसके उपरांत भी वादी द्वारा मिन अप्रार्थी/प्रतिवादी 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति को सहदायकी सम्पत्ति बताते हुए प्रार्थी दादा व पिता के जीवित रहते हुए ही पौत्र मात्र होने के आधार पर दादा (प्रार्थी) की स्वअर्जित सम्पत्ति में अपने तथाकथित हक अधिकार की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। जो स्वअर्जित भूमि के खातेदार काश्तकार (दादा) के जीवनकाल में तथा अप्रार्थी वादी के पिता के भी जीवित रहते विधि द्वारा वर्जित होने से पोषणीय नहीं होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी वादी द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि विवादित आराजीयात पर जागीरकाल से ही मिन अप्रार्थी वादी के पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है जिससे भूमि स्वअर्जित सम्पत्ति /भूमि नहीं है। विक्रय पत्र, वसीयत, दान पत्र, आवंटन व डिक्री से प्राप्त होने वाली संपत्ति ही स्वअर्जित सम्पत्ति होती है/हो सकती है तथा वाद कारण संबंधी तथ्य का निर्धारण भी साक्ष्य का विषय है, जो साक्ष्य के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी वादी द्वारा अपने दादा व पिता के भी जीवित रहते हुए वादग्रस्त भूमि में अपने हक अधिकारो की घोषणा के संदर्भ में वाद प्रस्तुत किया गया है जो कि निर्विवादित तथ्य है तथा स्वयं अप्रार्थी वादी द्वारा अपने वादपत्र के मद स. 5 के अंतर्गत कथन किया गया है कि जागीर उन्मूलन पश्चात पर्चा खातेदारी (खतौनी बंदोबस्त) वादी के दादा व दादा के अन्य 3 भाईयो के नाम हिस्सा 1/2 अनुसार व 1/2 हिस्सा अन्य के नाम अनुसार जारी किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि वादी के दादा छोट्या को अपने पिता जोधा की विरासतता में प्राप्त नहीं होकर जागीर उन्मूलन पर कृषक के रूप में कब्जाकाश्त के आधार पर प्राप्त हुई है। जिससे भूमि को सहदायकी सम्पत्ति नहीं माना जा सकता है। अपितु भूमि स्वअर्जित सम्पत्ति मानी जावेगी। जिससे उक्त स्वअर्जित सम्पत्ति के खातेदार काश्तकार (दादा) के जीवनकाल में उसके पुत्र (वादी का पिता) को ही (जो कि स्वयं भी जीवित है) कोई विधिक साम्पत्तिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है तो पौत्र (वादी) को हक अधिकार अवतरित होने का कोई विधिक आधार नहीं हो सकता है, ना ही प्रार्थी प्रतिवादी (दादा) को भूमि प्राप्त होने पर अप्रार्थी वादी का जन्म ही हुआ था जिससे भूमि को सहदायकी सम्पत्ति भी नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार अप्रार्थी वादी द्वारा अपनी विधिक अधिकारिता/सहदायिकता के संदर्भ में कोई मान्य साक्ष्य दस्तावेजात ही प्रस्तुत किया गया है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर प्रावधानों के अंतर्गत वाद वादी पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
आमेर, मुख्यालय, जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 23/2023

निर्णय दिनांकः–23.09.2025

मालू पुत्र साधू जाति मीणा
निवासी ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।

बनाम

अप्रार्थी/वादी

1. छोटू राम पुत्र जोधाराम
2. साधूराम पुत्र छोटूराम
3. उमराव उर्फ अमर सिंह पुत्र छोटूराम
4. जितेन्द्र पुत्र साधूराम

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक कार्यालय आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

अप्रार्थी वादी द्वारा अपने दादा व पिता के भी जीवित रहते हुए वादग्रस्त भूमि में अपने हक अधिकारो की घोषणा के संदर्भ में वाद प्रस्तुत किया गया है जो कि निर्विवादित तथ्य है तथा स्वयं अप्रार्थी वादी द्वारा अपने वादपत्र के मद स. 5 के अंतर्गत कथन किया गया है कि जागीर उन्मूलन पश्चात पर्चा खातेदारी (खतौनी बंदोबस्त) वादी के दादा व दादा के अन्य 3 भाईयो के नाम हिस्सा 1/2 अनुसार व 1/2 हिस्सा अन्य के नाम अनुसार जारी किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि वादी के दादा छोट्या को अपने पिता जोधा की विरासतता में प्राप्त नहीं होकर जागीर उन्मूलन पर कृषक के रूप में कब्जाकाश्त के आधार पर प्राप्त हुई है। जिससे भूमि को सहदायकी सम्पत्ति नहीं माना जा सकता है। अपितु भूमि स्वअर्जित सम्पत्ति मानी जावेगी। जिससे उक्त स्वअर्जित सम्पत्ति के खातेदार काश्तकार (दादा) के जीवनकाल में उसके पुत्र (वादी का पिता) को ही (जो कि स्वयं भी जीवित है) कोई विधिक साम्पत्तिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है तो पौत्र (वादी) को हक अधिकार अवतरित होने का कोई विधिक आधार नहीं हो सकता है, ना ही प्रार्थी प्रतिवादी (दादा) को भूमि प्राप्त होने पर अप्रार्थी वादी का जन्म ही हुआ था जिससे भूमि को सहदायकी सम्पत्ति भी नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार अप्रार्थी वादी द्वारा अपनी विधिक अधिकारिता/सहदायिकता के संदर्भ में कोई मान्य साक्ष्य दस्तावेजात ही प्रस्तुत किया गया है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर प्रावधानों के अंतर्गत वाद वादी योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.09.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

ओहदा ....
मुख्यालय-जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	02		स्टाम्प अर्जी	02	
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर